भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अंतारांकित प्रश्न सं. 544

जिसका उत्तर 06.02.2025 को दिया जाना है

राजस्थान में सड़क सुरक्षा

544. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सड़क निर्माण में सड़क सुरक्षा के लिए विशेष पहल करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में कार्यान्वित किए गए सड़क सुरक्षा उपायों का तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में राजस्थान सहित राज्यवार कितनी मौतें हुई हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का संबंध है, निर्माण कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों, दिशा-निर्देशों, मैनुअल, परिपाटी संहिता तथा सड़क और पुल निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। आवश्यक सड़क सुरक्षा उपाय डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों के दौरान किए जाते हैं। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, प्री-ओपनिंग चरण के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी राष्ट्रीय राजमार्ग की नियमित सुरक्षा संपरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यीय राजमार्गों सहित अन्य श्रेणियों की सड़कों के लिए सड़क निर्माण का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

(ख) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ स्थानों को दुर्घटनाओं की निश्चित संख्या के आधार पर ब्लैक स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें मृत्यु और गंभीर चोटें शामिल हैं। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल अल्पकालिक उपाय करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि सड़क चिह्नांकन, संकेतक, क्रैश बैरियर, सड़क स्टड, डिलीनेटर्स, अनधिकृत मीडियन ओपनिंग को बंद करना, यातायात कम करने के उपाय आदि। स्थायी सुधार उपायों के रूप में साइट जांच के अनुसार ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर सड़क ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे का स्पॉट चौड़ा करना, अंडरपास / ओवरपास का निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय भी किए गये हैं।

(ग) विस्तृत विवरण अनुबंध में संलग्न है।

अनुबंध

'राजस्थान में सड़क सुरक्षा' के संबंध में श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा दिनांक 06.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 544 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

2018 से 2022 तक भारत में राज्यवार मृत्यु						
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	**आंध्र प्रदेश**	7,556	7,984	7,039	8,186	8,293
2	**अरुणाचल प्रदेश**	175	127	73	157	148
3	**असम**	2,966	3,208	2,629	3,036	2,994
4	**बिहार**	6,729	7,205	6,699	7,660	8,898
5	**छत्तीसगढ**	4,592	5,003	4,606	5,371	5,834
6	**गोवा**	262	297	223	226	271
7	**गुजरात**	7,996	7,390	6,170	7,452	7,618
8	**हरियाणा**	5,118	5,057	4,507	4,706	4,915
9	**हिमाचल प्रदेश**	1,208	1,146	893	1,052	1,032
10	**झारखंड**	3,542	3,801	3,044	3,513	3,898
11	**कर्नाटक**	10,990	10,958	9,760	10,038	11,702
12	**केरल**	4,303	4,440	2,979	3,429	4,317
13	**मध्य प्रदेश**	10,706	11,249	11,141	12,057	13,427
14	**महाराष्ट्र**	13,261	12,788	11,569	13,528	15,224
15	**मणिपुर**	134	156	127	110	127
16	**मेघालय**	182	179	144	187	162
17	**मिजोरम**	45	48	42	56	113
18	**नागालैंड**	39	26	53	55	73
19	**ओडिशा**	5,315	5,333	4,738	5,081	5,467
20	**पंजाब**	4,740	4,525	3,898	4,589	4,756
21	**राजस्थान**	10,320	10,563	9,250	10,043	11,104
22	**सिक्किम**	85	73	47	56	92
23	**तमिलनाडु**	18,392	18,129	14,527	15,384	17,884
24	**तेलंगाना**	6,603	6,964	6,882	7,557	7,559
25	**त्रिपुरा**	213	239	192	194	241
26	**उत्तराखंड**	1,047	867	674	820	1,042
27	**उत्तर प्रदेश**	22,256	22,655	19,149	21,227	22,595
28	**पश्चिम बंगाल**	5,711	5,767	5,128	5,800	6,002
29	**अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	19	20	14	20	19
30	**चंडीगढ़**	98	104	53	96	83
31	**दादरा एवं नगर हवेली**	54	49	64*	76*	90*

32	**दमन और दीव**	35	28			
33	**दिल्ली**	1,690	1,463	1,196	1,239	1,461
34	**जम्मू और कश्मीर**	984	996	728	774	805
35	**लद्दाख**	शून्य	शून्य	शून्य	56	62
36	**लक्षद्वीप**	1	0	0	1	2
37	**पुदुचेरी**	226	147	145	140	181
कुल (पूर्ण भारत)		**1,57,593**	**1,58,984**	**1,38,383**	**1,53,972**	**1,68,491**

टिप्पणी:

2017 से 2020 तक जम्मू-कश्मीर में लद्दाख भी शामिल है

* दादरा और नगर हवेली में दमन और दीव का आंकड़ा शामिल है

*****